कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ23(11)लेखा/निकाशि/अ.छा.स्कू.वि.प्रो.यो./2013–14/1643 दिनांक 7/10/13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2013 के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2013 लागू की गई है । योजना से संबंधित नियम, शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि निदेशालय की वेबसाईट collegeeducation.rajasthan.gov.in तथा dce. rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिये गये है ।

योजना के प्रचार प्रसार हेतु राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर के समस्त राजस्थान के संस्करणों में दिनांक 2–10–2013 को विज्ञापन निदेशालय स्तर पर प्रसारित कराया गया है। अतः आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4. बोद्ध व 5. पारसी) की पात्र छात्राओं को योजना के नियमान्तर्गत चिन्हित कर अधिक से अधिक आवेदन फार्म भरवाते हुए जमा करना सुनिश्चित करें ।

छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र अध्ययनरत् महाविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि 14–11–2013 एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निदेशालय में आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 29–11–2013 निर्धारित है । निदेशालय में निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(नवीन जैन)
निदेशक